पत्र संख्याः एफ0टी0. 48–2873 / 2014(व0स0अ0)
वन विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषकः नोड़ल आधिकारी एवं अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व0स0अ0),
का0 प्र0 मु0 अ0 (व0ब0प्र0) हि0 प्र0।

प्रेषितः उप– महानिदेशक वन (केन्द्रिय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रिय कार्यालय (उतर–मध्य क्षेत्र), सुभाष रोड़, देहरादून–248001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 5.6581 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of Dummi to Kharechi road (Kms. 0/0 to 10/165), within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (Online No. FP/HP/Road/8164/2014).**

महोदय,

आपके कार्यालय मे आयोजित 35वीं क्षेत्रीय अधिकार समिति, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 की बैठक मे विषय पर उद्धृत प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

1. प्रस्तावित सड़क की DPR 2006-07 में नाबार्ड फंड के तहत तैयार की गई थी। यह प्रस्तावित डूम्मी से आरम्भ होकर बेवली धार, झौलो, शीडा गांव को जोडते हुए कडयाची में समाप्त होगी।
2. प्रस्तावित सड़क को ग्राम कडयाची को सम्पर्क मार्ग से जोडा जा चुका है। यह सडक मार्ग डूम्मी के विपरीत दिशा में स्थित है। डूम्मी पंचायत का उप–स्वास्थ्य केन्द्र कडयाची में स्थित है, तथा डुम्मी से कडयाची की इस सडक मार्ग से दूरी लगभग 30 कि0मी0 है । वर्तमान में बेवली धार, झौलो व शीडा गांव के लोगो को पैदल मार्ग से कडयाची पहुचना पडता है तथा रास्ते में खड्ड को पैदल पार करना पडता है। गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए तथा गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत ही मुश्किलें पैदा करता है। इस सडक निर्माण से इन गांवो के लोगों को कडयाची (10 कि0मी0 दूरी पर) तथा शिमला (12 कि0मी0 दूरी पर) दोनों स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना सुगम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन गांवों में उत्पादित सब्जिओं तथा अन्य कृषि उत्पादों को समय पर कम लागत के साथ शहरी क्षेत्रों में पहुचाना भी आसान हो जाएगा, जिससें इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रस्तावित सड़क द्वारा ग्रम डूम्मी, बेवली धार, झौलों और शीडा को कडयाची एवं शिमला से जोडा जा रहा है न कि यह सडक केवल कडयाची को एक और सडक मार्ग से जोडने के लिए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस सडक में वन भूमि में कुल 834 पेडों और 416 सैपलिग का काटा जाना प्रस्तावित है। ग्रम शीडा से कडयाची के बीच वन भूमि पर कुल 8 पेडों व 23 सैपलिग का काटा जाना प्रस्तावित है।
3. डुम्मी पंचायत के ग्राम पणेया से ग्राम शीडा के लिए पूर्व में डुम्मी पंचायत द्वारा एक सडक मार्ग प्रस्तावित था, परन्तु इस रास्ते में एक बहुत बडी खाई होंने के कारण इस मार्ग को शीडा तक जोडा जाना सम्भव नही था जिस कारण इस मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पणेया से ग्राम शीडा तक सडक का निर्माण सम्भव नहीं है तथा इस कारण ग्राम शीडा को डुम्मी कडयाची प्रस्तावित सडक मार्ग द्वारा ही सडक सुविधा से जोडा जा रहा है। यह प्रस्तावित सडक मार्ग बेवली धार गांव के लगभग 200 मी0 नजदीक से गुजर रही है तथा झौलों गांव इस प्रस्तावित सडक से जुड रहा है।
4. इस प्रस्तावित मार्ग में डुम्मी से झौलों गांव तक सारी सरकारी भूमि लगती है तथा इसमें कुल 447 पेड व 153 सैपलिंग आती है। झौलों से शीडा तक प्रस्तावित सडक में वन भूमि व निजी भूमि दोनों आती है। इसमें वन भूमि में कुल 379 पेड व 250 सैपलिग आती है। शीडा से कडयाची गांव तक भी प्रस्तावित सडक

में वन व निजी दोनों प्रकार की भूमि आती है, तथा इसमें वन भूमि में कुल 8 पेड व 23 सैपलि काटना प्रस्तावित है। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रस्तावित सडक मार्ग की वर्तमान संरेखण (alignme में गांव झौलो तक कुल 447 पेड व 153 सैपलिग का काटा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त दूसरे वैकल्पिक संरेखण (alignment) में पेडो की संख्या अधिक है तथा इसके अतिरिक्त और कोई भी तीसरी वैकल्पिक (alignment) तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है।

ग्राम पोवाबो से डुम्मी तक 3.270 कि0मी0 सडक का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार वन मंत्रालय की स्वीकृति संख्या 9-HPB 956/2006-CA/255 के तहत वर्ष 2007 में हुआ था, जिसमें कुल 262 वृक्षों तथा 421 सैपलिंग को काटने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी।

इसके अतिरिक्त डुम्मी पंचायत द्वारा लिखित रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता गणेश ठाकुर नाम का कोई भी व्यक्ति पोवाबो गांव अथवा डुम्मी पंचायत का निवासी नहीं है यह शिकायत विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए की गई है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रस्तावित डुम्मी कडयाची सडक की संरेखण (alignment) सही है जिसके द्वारा ग्राम बेवली धार, झौलो और शीडा को कडयाची एवं शिमला से जोडा जाएगा।

इसके अतिरिक्त व0म0अ0 शिमला ने सूचित किया है कि मामलें की जांच के दौरान पेडों की गणना करते समय काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता पाई गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार से है:–

Abstract of Trees as per old enumeration									
Species	Spp.	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	**Total**
Deodar	187	65	86	98	52	19	3	1	**511**
Ban	271	167	38	2	0	1	0	0	**479**
Chil	23	47	24	13	9	2	0	0	**118**
B/L	30	7	0	1	0	0	0	0	**1**
Kail	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Total	**511**	**286**	**149**	**114**	**61**	**22**	**3**	**1**	**1147**
Abstract of Trees as per new enumeration									
Species	Spp.	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	**Total**
Deodar	97	83	68	87	62	18	2	0	**417**
Ban	174	328	60	2	1	0	0	0	**565**
Chil	16	36	23	17	14	2	2	0	**110**
B/L	127	15	6	3	0	0	0	0	**151**
Kail	2	3	2	0	0	0	0	0	**7**
Total	**416**	**456**	**159**	**109**	**77**	**20**	**4**	**0**	**1250**

पेडों की संशोधित गणना सूची प्रपत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतू संलग्न है।

भवदीय,

हस्ता/-

संलग्नः यथोपरि,

नोड़ल आधिकारी एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (व0स0अ0)
का0प्र0मु0अ0(व0ब0प्र0) हि0 प्र0।

पृष्ठांकन संख्याः एफ0टी0. 48–2873 / 2014 (व0स0अ0) 03 SEP 2020 दिनांक,शिमला–01

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1 मुख्य अरण्यपाल शिमला, आपके कार्यालय के ज्ञापन पत्र संख्या 3367 दिनांक 26.08.2020 के संदर्भ में ।
2 वनमण्डलाधिकारी शिमला।
3 सहायक अभियन्ता, हि0प्र0लो0नि0विभाग मण्डल शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

3/9/2020

नोड़ल आधिकारी एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (व0स0अ0)
का0प्र0मु0अ0(व0ब0प्र0) हि0 प्र0, ।

01.09.2020